रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 431] नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2018/आषाढ़ 6, 1940
No. 431] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2018/ASHADHA 6, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

सा.का.नि. 589(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 (2010 का 19) की धारा 12 के साथ पठित धारा 35 की उपधारा 2 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (वरिष्ठ लेखाकार भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम 2018 है।

(2) यह उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 (2010 का 19) अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूची " से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" मे अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(घ) "चयन समिति" से नियम 7 के खंड घ में निर्दिष्ट चयन समिति अभिप्रेत है;

(ङ.) "वरिष्ठ लेखाकार" से इन नियमों के अधीन भर्ती किया गया कार्मिक अभिप्रेत है;

(च) शब्द और पद जो इन नियमों में उपयोग किए गए हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

3. **लागू होना.**—यह नियम वरिष्ठ लेखाकार (बाह्य स्रोत आधार पर या लघु अवधि संविदा के आधार पर या एकमुश्त वेतन के आधार पर भर्ती किए गए व्यक्तियों के सिवाय)के पद को लागू होंगे।

4. **नियुक्ति प्राधिकारी.**—वरिष्ठ लेखाकार के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष होगा।

5. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट है।

6. **भर्ती की पद्धति आयु सीमा अहर्ताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

7. **सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया.**—उक्त पद पर सीधी भर्ती करने के लिए अनुसूची के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) अधिकरण अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा;

(ख) प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों की पात्रता के लिए अध्यक्ष द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी;

(ग) यदि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो खंड (घ) में निर्दिष्ट चयन समिति किसी खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर भाटक पर लिए गए किसी व्यवसायिक अभिकरण के माध्यम से आरंभिक परीक्षा संचालित करने की सिफारिश कर सकेगी;

(घ) भर्ती करने के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी-

I. अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट न्यायिक सदस्य- अध्यक्ष;

II. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उसका नामनिर्देशित - सदस्य;

III. अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ –सदस्य;

IV. अधिकरण का रजिस्ट्रार- सदस्य

8. **प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति.**—अनुसूची के उपबंधों के अनुसार पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, अर्थात्:-

(क) अधिकरण अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा ;

(ख) प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों की पात्रता के लिए अध्यक्ष द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी ;

(ग) अध्यक्ष द्वारा चयन के लिए साक्षात्कार, नियम 7 के खंड (घ) में निर्दिष्ट सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति द्वारा संचालित किए जाएंगे ।

9. **प्रतिनियुक्ति की अवधि.**—(1) प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी और 3 वर्ष से परे प्रतिनियुक्ति की अवधि का चौथे वर्ष तक सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन से तथा चौथे वर्ष से परे 7 वें वर्ष तक मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन से विस्तार किया जा सकेगा:

परंतु प्रत्येक विस्तार के लिए अध्यक्ष की पूर्व सहमति होगी।

(2) प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा करने वाले अधिकारियों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तत्समय पर जारी अनुदेश लागू होंगे ।

10. **सेवा की शर्तें**.—वरिष्ठ लेखाकार के लिए वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता, पेंशन और सेवानिवृत्ती फायदे, चिकित्सा सुविधाएं तथा सेवा कि अन्य शर्तों से संबंधित विषयों का केंद्रीय सरकार के तत्स्थानी समूह 'ख' से संबंध रखने वाले उन स्थानों में तैनात कर्मचारियों को तत्समय लागू अनुदेशों के अनुसार विनियमन किया जाएगा

11. **निरर्हता**.—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति मे जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

12. **आवास**.—वरिष्ठ लेखाकार उन पदों पर तैनात केंद्रीय सरकार के तत्स्थानी स्तर में तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में समूह 'ख' से संबंध रखने वाले कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय के अनुसार मकान किराया भत्ता का हकदार होगा ।

13. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

14. **सेवा की अन्य शर्तें**.—अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें, वेतन, विनिर्दिष्ट उपबंधों को उपलब्ध नहीं कराया गया है, समय-समय पर ऐसे नियमों को विनियमित किया जाएगा, उन स्थानों पर आस्थित केन्द्रीय सरकार के तत्समान वेतनमान, यथास्थिति, समूह क, समूह ख और समूह ग मे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी ।

"अनुसूची"

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
वरिष्ठ लेखाकार	5* (2018). * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	लागू नहीं होता	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400/-रु.) में स्तर -6 .	लागू नहीं होता	21 से 33 वर्ष के बीच (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य (बी.कॉम.) में बेचलर डिग्री; (ii) जिनके पास किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष । टिप्पण : दो वर्ष की अवधि में, दो सप्ताह की अवधि के आज्ञापक प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सम्मिलित है।

					भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	या कानूनी निकाय में रोकड़ लेखा और बजट कार्य में 3 वर्ष का -अनुभव हो। **टिप्पण 1** : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 60% प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; और (ii) 40% प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति:-** ऐसे लेखाकार जो अधिकरण में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स (25500-81100/-रु.) में स्तर -4 में 10 वर्ष की सेवा कर चुके हों। **टिप्पण -** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-** (1) अधिकरण का अध्यक्ष अथवा एक न्यायिक सदस्य, अध्यक्ष द्वारा	लागू नहीं होता

टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति :-** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में ऐसे अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों या (ii) वेतन मैट्रिक्स (25500-81100/-रु.) में स्तर -4 ऐसे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय या अधिकरण में 10 वर्ष की नियमित सेवा में लेखाकार या समतुल्य पद धारण करते हों ;और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ता और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** नियम 9 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	नामनिर्दिष्ट किया जाएगा - अध्यक्ष ; (2) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य ; (3) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य (4) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य ।	

[फा. सं. 17(23)/2010-पीएल/एनजीटी (भाग)]

अरूण कुमार मेहता, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2018

G.S.R. 589(E).—In exercise of powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 35, read with section 12 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and Other Terms and Conditions of Service of Senior Accountant) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010);

(b) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

(c) "section" means a section of the Act;

(d) "Selection Committee" means the Selection Committee referred to in clause (d) of rule 7;

(e) "Senior Accountant" means the personnel recruited under these rules;

(f) words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act

3. **Application.—**These rules shall apply to the post of Senior Accountant (except personnel hired on outsourced basis or on short-term contract basis or on lump-sum salary basis).

4. **Appointing Authority.—**The Chairperson shall be the appointing authority for the Senior Accountant.

5. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

6. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (13) of the Schedule.

7. **Procedure for direct recruitment.—**The following procedure shall be followed for making direct recruitment to the said post, in accordance with the provisions of the Schedule, namely:-

(a) the Tribunal shall invite applications for the post through an advertisement on all India basis;

(b) all such applications received shall be screened for eligibility by a Screening Committee constituted by the Chairperson;

(c) if the number of applications received is large, then the Selection Committee referred to in clause (d) may recommend conduct of a preliminary examination through a professional agency hired on the basis of an open competitive bid process;

(d) the recruitment shall be done by the Selection Committee comprising of-

(i) Chairperson or a Judicial Member nominated by the Chairperson – Chairman;

(ii) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee – Member;

(iii) Expert Member to be nominated by the Chairperson – Member;

(iv) Registrar of the Tribunal- Member.

8. **Appointment by deputation.**—The following procedure shall be adopted for making appointment on deputation to the post, in accordance with the provisions of the Schedule, namely:-

(a) the Tribunal shall invite applications for the vacant posts through an advertisement on all India basis;

(b) the applications received shall be screened for eligibility by a Screening Committee constituted by the Chairperson;

(c) interviews shall be conducted for selection by the Selection Committee as specified by the Chairperson in consultation with the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change referred to in clause (d) of rule 7.

9. **Period of deputation.**—(1)The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall be three years from the date of beginning of the deputation and beyond three years, the period of deputation may be extended upto 4th year with the approval of the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and beyond 4th year and upto 7th year with the approval of the Minister for Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided that every extension shall have prior concurrence of the Chairperson.

(2) The instructions on deputation issued, from time to time, by the Department of Personnel and Training shall be applicable to officials serving on deputation basis.

10. **Conditions of service.**—The conditions of service of Senior Accountant in matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to employees belonging to Group B of the corresponding level in the pay matrix of the Central Government stationed at those places.

11. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

12. **Accommodation.**—The Senior Accountant shall be eligible for House Rent Allowance as admissible to employees belonging to Group B of the corresponding level in the pay matrix of the Central Government stationed at those places.

13. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other

Backward Class, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

14. **Other conditions of service.**—Other conditions of service, including disciplinary proceedings, for which no specific provisions have been provided in these rules, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to employees belonging to Group B of the corresponding level in the pay matrix of the Central Government stationed at those places.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Senior Accountant.	5 * (2018). * Subject to variation depending upon workload.	Not applicable.	Level -6 (Rs. 35400 – 112400/-) in the pay matrix.	Not applicable.	Between 21 and 33 years. (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). **Note:-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba	(i) Bachelor's degree in Commerce (B.Com) from a recognised university; (ii) three years experience in cash, account and budget work in a Government office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. **Note 1.-** Qualification is relaxable at the discretion of the Selection Committee, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates who are otherwise well qualified. Note 2.- Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Selection Committee, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled	Not applicable.	Two years for direct recruitment. **Note.-** The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

					District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Selection Committee is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Sixty per cent by promotion failing which by deputation; and (ii) forty per cent by direct recruitment. **Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals.	Promotion: Accountant with ten years of service in level 4 (Rs. 25500 -81100) in pay matrix, rendered after appointment thereto on a regular basis in the Tribunal. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government or State Government or Courts or Tribunals.- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) holding the post of Accountant or equivalent post in the Central Government or State Government or Courts or Tribunals, with ten years of regular service in level 4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitments under column (7).	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-** (1) Chairperson or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson – Chairman; (2) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change or his nominee-Member; (3) Expert Member to be nominated by the Chairperson – Member; (4) Registrar of the Tribunal – Member.	Not applicable.

	Note 1.- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** Notwithstanding anything contained in rule 9, the period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 17(23)/2010-PL/NGT (pt.)]

ARUN KUMAR MEHTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA